राजीव नारायण रैना से पहले, जे।

सुभाष चंदर- *याचिकाकर्ता*

बनाम

वित्तीय आयुक्त और हरियाणा के सचिव और अन्य- *प्रतिवादी*

2013 की सीडब्ल्यूपी संख्या 11433

अक्टूबर 30, 2018

हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1987 - आरएल 7 - अधिशेष भूमि के आवंटन में अवैधता - समान तथ्यों वाले आपराधिक मामले में घटना के 14 साल बाद और 3 साल बाद विभाग द्वारा आरोप पत्र शुरू करना- विभाग इस निराशाजनक विफलता पर सुधार नहीं कर सकता है- आपराधिक न्यायालय में प्रस्तुत की गई सामग्री के अलावा अन्य ताजा सामग्री पर आरोप लगाया जा सकता है- एसडीओ (उप-विभागीय अधिकारी) सिविल आवंटन प्राधिकारी था- याचिकाकर्ता की इसमें कोई भूमिका नहीं थी आवंटन प्रक्रिया - आरोपों के एक ही आरोप पर दो बार परेशान होने के खिलाफ अधिकार - याचिका की अनुमति - आरोप रद्द किए गए - अपने सभी देय लाभों का भुगतान करने के निर्देश।

यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यह संदेह से परे है कि अधिशेष भूमि के आवंटन का प्रस्ताव नायब तहसीलदार (कृषि), गुहला द्वारा अनुबंध के अनुसार किया गया था। पी -6। याचिकाकर्ता नायब तहसीलदार था, लेकिन नायब तहसीलदार (कृषि) नहीं था। न ही याचिकाकर्ता आवंटन प्राधिकारी था जो उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) गुहला, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के राजस्व विंग में बॉस था। आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता की अधिशेष घोषित भूमि की आवंटन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन पांच राजस्व अधिकारियों के साथ साजिश के आरोप में उन्हें फंसाया गया, जिसके कारण उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष आपराधिक आरोप को बनाए रखने के लिए बुनियादी दस्तावेजों यानी बिक्री विलेख और पावर ऑफ अटॉर्नी का उत्पादन करने में असाधारण रूप से लंबे समय तक विफल रहा।

(पैरा 10)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि पुलिस जो नहीं कर सकती है, उसे विभाग को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि उसके पास आपराधिक मामले में प्रस्तुत की गई सामग्री के अलावा अन्य नई सामग्री न हो, जो संभावनाओं की प्रबलता पर निर्भर करती है। इसके अलावा, राज्य ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती नहीं दी, जिसमें याचिकाकर्ता सहित छह आरोपियों को पक्षकारों की सरणी में आरोपी नंबर 5 के रूप में आरोपमुक्त कर दिया गया था। विभाग अभियोजन एजेंसी को मामले पर असर डालने वाली प्रासंगिक सामग्री की आपूर्ति करके आरोप को घर लाने के लिए संभावित साक्ष्य/अतिरिक्त साक्ष्य का नेतृत्व करके ट्रायल कोर्ट की सहायता कर सकता था, लेकिन वे ऐसा करने में बुरी तरह विफल रहे।

(पैरा 11)

आगे अभिनिर्धारित गया कि घरेलू जांच और आपराधिक मामले में आरोप चरित्र में समान हैं। याचिकाकर्ता को एक ही आरोप पर दो बार परेशान होने का अधिकार है, जिसके कारण आपराधिक मामले में बरी हो गया था।

(पैरा 12)

आगे अभिबिरधारित किया गया कि आरोप पत्र घटना के 14 साल बाद और आपराधिक मामले में बरी होने के तीन साल बाद जारी किया गया है जो एक असाधारण लंबा समय है। आरोपों के एक ही आरोप पर दो बार परेशान किया जा सकता है?

(पैरा 13)

याचिकाकर्ता की *वकील उपासना धवन*

श्रुति जैन गोयल, डीएजी, हरियाणा

राजीव नारायण रैना, जे (मौखिक)

1. यह मामला पहली बार प्रस्ताव की सुनवाई में आ रहा है, इस न्यायालय ने प्रस्ताव की सूचना जारी करते हुए 24 मई, 2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किया: -

"याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य के राजस्व विभाग के तहत नायब तहसीलदार के रूप में कार्यरत है। वह वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तत्काल रिट याचिका में चुनौती दिनांक 27.11.2012 (अनुलग्नक पी-1) को आरोप जारी करने को दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप का सटीक लेख रसूलपुर गांव के 430 कनाल, 16 मरला की अतिरिक्त भूमि के आवंटन में कुछ अवैधता के कमीशन के बारे में है। सटीक तर्क यह दिया गया है कि इसी आरोप के संबंध में, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें वह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कैथल द्वारा सत्र केस संख्या 15/08 में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2009 (अनुलग्नक पी -3) के आलोक में बरी हो गया है। 30.07.2013.In इस बीच, दिनांक 27.11.2012 के आक्षेपित आरोप पत्र के अनुसरण में शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखा जाएगा।

2. संक्षेप में याचिकाकर्ता का मामला यह है कि नायब तहसीलदार के रूप में सेवा करते हुए उन्हें कानून के उल्लंघन में जिला कैथल के गांव रसूलपुर में 430K-16M की अधिशेष भूमि के आवंटन के विषय में वर्ष 1995-1996 में की गई गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए आरोप-पत्र दिया गया था। सतर्कता ब्यूरो, अंबाला डिवीजन ने मामले की जांच की और 24 मार्च, 1999 को रिपोर्ट संख्या 5 प्रस्तुत की जिसमें याचिकाकर्ता को कार्यालय में अनियमितताओं का दोषी पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर, याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ 12 अक्टूबर, 2000 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आईपीसी की धारा 467/468/471/120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश, कैथल ने दिनांक 20 मई, 2009 के आदेश द्वारा अभियुक्त को आरोपमुक्त कर दिया, जिसका अर्थ है कि आपराधिक आरोप विरचित करने का मामला नहीं बनता है। माना जाता है कि भूमि के मूल मालिकों के बीच फर्जी बताए गए विवादास्पद बिक्री विलेख अधिशेष को जाली और मनगढ़ंत घोषित किया गया था और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पावर ऑफ अटॉर्नी भी पुलिस द्वारा मामले की जांच के दौरान एकत्र नहीं की गई थी और वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 173 के तहत प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट का हिस्सा नहीं थे। न तो याचिकाकर्ता और न ही उसके पांच सह-आरोपी बिक्री विलेख के तहत लाभार्थी थे, यह तथ्य का निष्कर्ष है।

3. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि बिक्री विलेख के लाभार्थियों की अनुपस्थिति में और लाभार्थियों के साथ आरोपी को जोड़ने वाले किसी भी सबूत के अभाव में, यह कल्पना के किसी भी खिंचाव से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अभियुक्तों ने अपने लिए गलत तरीके से लाभ कमाया। अभियुक्त के खिलाफ कोई आरोप तय करने से पहले इन दस्तावेजों को साक्ष्य में पेश किया जाना जरूरी था। जैसा कि दस्तावेजों के पंजीकरण के कानून द्वारा आवश्यक है, नायब तहसीलदार के रूप में याचिकाकर्ता पंजीकरण के लिए जब भी उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो दस्तावेज को पंजीकृत करने के लिए बाध्य था। याचिकाकर्ता के खिलाफ यह मामला नहीं था कि कुछ फर्जी व्यक्तियों को पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में उसके सामने पेश किया गया था। इन कथित फर्जी दस्तावेजों को दिन की रोशनी में नहीं देखा गया था और जांच के दौरान एकत्र नहीं किया गया था।

4. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने डिस्चार्ज के आदेश में देखा कि सतर्कता रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2000 में मामला दर्ज किया गया था और 2009 तक जांच किसी न किसी कारण से लंबित थी, लेकिन फिर भी, जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री में अभियुक्त के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के उपबंध तब तक भुगतान में नहीं आएंगे जब तक कि मामले के रिकॉर्ड में कुछ सबूत न हों कि अभियुक्तों द्वारा बिक्री विलेखों के प्रतिशोधियों के प्रति कुछ पक्ष दिखाया गया था या उन्हें प्रतिशोधियों के कहने पर दस्तावेजों को पंजीकृत करके किसी न किसी रूप में कुछ अनुचित लाभ प्राप्त करना था। याचिकाकर्ता सहित छह अधिकारियों के बीच साजिश की थ्योरी साबित नहीं हुई या दस्तावेजों को पंजीकृत करने से उन्हें क्या लाभ हुआ। यहां तक कि आवंटियों द्वारा किसी भी प्राधिकरण या अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं की गई थी कि उनके हस्ताक्षर कोरे कागजों पर प्राप्त किए गए थे। किसी भी आवंटी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया कि बिक्री विलेख या पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द या रद्द किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17, 32 और 34 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को यह सत्यापित करने अथवा सुनिश्चित करने की कोई शक्ति नहीं है कि दस्तावेज के निष्पादकों के पास विवादित संपत्ति का स्वत्वाधिकार है अथवा उन्होंने स्वत्वाधिकार अथवा दोष न होने के आधार पर पंजीकरण से इंकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता सहित किसी भी आरोपी के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने से इनकार कर दिया।

5. कथित अनियमितताएं जनवरी, 1995 की अवधि से संबंधित थीं। आरोप की घटना से 14 साल के अंतराल के बाद और आपराधिक मामले में बरी होने के तीन साल बाद, याचिकाकर्ता को हरियाणा सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम,

1987 (संक्षिप्त "नियम" के नियम 7 के तहत 27 नवंबर, 2012 (अनुलग्नक 2012) को विभागीय आरोप पत्र दिया गया था। (ख) सत्र मामला सं 15/2008 में यथा अंतवष्ट आरोपों के उसी सेट पर आरोप लगाने वाले मामले में पी-1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता ने 7 फरवरी, 2012 को आरोप-पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया (संलग्नक)। पी-2) यह समझाते हुए कि आपराधिक मामला 20 मई, 2009 को याचिकाकर्ता सहित अभियुक्तों के बरी होने के साथ समाप्त हो गया था। एक जांच अधिकारी को घरेलू जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिस पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। यह इस पृष्ठभूमि में है कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर करके इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

6. राज्य का तर्क है कि आपराधिक आरोप से बरी होने या बरी होने के बाद विभागीय जांच शुरू करने के लिए सीमा की कोई रोक नहीं है और कानून में स्वीकृत स्थिति है कि विभागीय और आपराधिक कार्यवाही एक साथ या एक के बाद एक जारी रह सकती है।

7. राज्य ने अपनी प्रारंभिक प्रस्तुतियों में कहा है कि याचिकाकर्ता को अदालत द्वारा योग्यता के आधार पर बरी नहीं किया गया है और उसे जांच एजेंसी की ओर से आवश्यक दस्तावेज/सामग्री एकत्र करने में विफलता का लाभ दिया गया है। वे इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि आपराधिक मामला और विभागीय कार्यवाही एक ही तरह के आरोपों पर आधारित है।

8. याचिकाकर्ता ने आवेदन के माध्यम से- 2016 के सीएम नंबर 6023 को रिकॉर्ड दस्तावेजों के अनुलग्नक पर रखा है। याचिका के साथ दायर अनुलग्नकों की निरंतरता में पी-5 से पी-8 तक। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि अतिरिक्त कार्यवाही में आवंटन प्राधिकारी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उपखंड अधिकारी (सिविल), गुहला, कैथल द्वारा किया गया था। उन्होंने ही अपनी सरकारी हैसियत से 1 दिसम्बर, 1995 के अपने पत्र (संलग्नक) द्वारा प्रशासनिक/राजस्व प्रभाग में उपलब्ध विवादित अधिशेष भूमि के आवंटन के लिए बैठक बुलाई थी। पी -5)। एसडीओ (सिविल), गुहला ने 6 दिसंबर, 1995 को बैठक की तारीख तय की और श्री मिल्खी राम अग्रवाल, अध्यक्ष कांग्रेस (आई), गुहला और कुलविंदर सिंह गांव, हबड़ी, कैथल से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया ताकि अधिशेष भूमि का आवंटन नियमानुसार किया जा सके। मिला लेना। पी-6 हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 (संक्षेप में 1972 का अधिनियम) के तहत अधिशेष घोषित भूमि के आवंटन का प्रस्ताव है और हरियाणा यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस एंड अदर एरियाज स्कीम, 1976 की योजना के अनुसार ग्राम रसूलपुर, तहसील गुहला, जिला कैथल में घोषित अधिशेष भूमि के आवंटन के संबंध में है, जो क्षेत्र प्रश्नगत है। पत्र में कुल 28 लाभार्थियों को आवंटियों के रूप में नामित किया गया है। अनुबंध के अंत में एक नोट है। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 6 दिसम्बर, 1995 के पत्र पी-6 के माध्यम से आबंटन प्राधिकरण, गुहला (कैथल) द्वारा हस्ताक्षरित यह निर्णय लिया है कि नायब तहसीलदार (कृषि), गुहला के आबंटन प्रस्ताव और गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा दी गई सहमति के अनुसार आबंटन एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है। फॉर्म यूएस-3 जारी किया जाए। आवंटन का प्रमाण पत्र 11 दिसंबर, 1995 का अनुलग्नक पी -7 है जिस पर आवंटन प्राधिकरण, गुहला द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए हैं। मिला लेना। पी-8 सरकार की ओर से उपायुक्त, कैथल को 23 दिसंबर, 2014 को लिखा गया एक पत्र है जिसमें निर्देश दिया गया है कि 1987 के नियमों के नियम 7 के तहत लंबित विभागीय जांच के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाए जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 31 दिसंबर, 2014 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला था। हालांकि, अनंतिम पेंशन और छुट्टी नकदीकरण का भुगतान जारी करने का निर्देश दिया गया था।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुना है और पेपर-बुक भी पढ़ा है।

10. यह संदेह से परे है कि अनुलग्नक के अनुसार नायब तहसीलदार (कृषि), गुहला द्वारा अधिशेष भूमि के आवंटन का प्रस्ताव किया गया था। पी -6। याचिकाकर्ता नायब तहसीलदार था, लेकिन नायब तहसीलदार (कृषि) नहीं था। न ही याचिकाकर्ता आवंटन प्राधिकारी था जो उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) गुहला, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के राजस्व विंग में बॉस था। आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता की अधिशेष घोषित भूमि की आवंटन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन पांच राजस्व अधिकारियों के साथ साजिश के आरोप में उन्हें फंसाया गया, जिसके कारण उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष आपराधिक आरोप को बनाए रखने के लिए बुनियादी दस्तावेजों यानी बिक्री विलेख और पावर ऑफ अटॉर्नी का उत्पादन करने में असाधारण रूप से लंबे समय तक विफल रहा। उन दस्तावेजों को जांच के दौरान और वर्षों तक अंधेरे में रखा गया था और अभी भी दिन की रोशनी नहीं देखी गई है जैसा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा एक तथ्य के रूप में दर्ज किया गया है और इस न्यायालय की जिज्ञासा को प्रज्वलित करने के लिए वर्तमान याचिका में भी पेश नहीं किया गया है। विभाग अपनी कार्यवाही में संदिग्ध और महान अभियोजन की इस निराशाजनक विफलता में सुधार नहीं कर सकता है। पुलिस हमेशा की तरह हंसी का पात्र बनी हुई है।

11. इस न्यायालय को यह समझाने की कोशिश में कि कम से कम इतना भत्ता उसे देने की अनुमति देने के योग्य है कि विभागीय कार्यवाही जारी रहनी चाहिए; राज्य यह कहने में पूरी तरह से गलत है कि याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देकर या यह कहते हुए बरी कर दिया गया था कि मामले का फैसला गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया था। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मुकदमा चल चुका है और बेगुनाही साबित हो गई है, लेकिन फिर भी जो पुलिस नहीं कर सकी, उसे विभाग को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि उसके पास आपराधिक मामले में पेश की गई सामग्री के अलावा कोई नई सामग्री न हो, जो संभावनाओं की अधिकता पर निर्भर करती है. इसके अलावा, राज्य ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को चुनौती नहीं दी, जिसमें याचिकाकर्ता सहित छह आरोपियों को पक्षकारों की सरणी में आरोपी नंबर 5 के रूप में आरोपमुक्त कर दिया गया था। विभाग अभियोजन एजेंसी को मामले पर असर डालने वाली प्रासंगिक सामग्री की आपूर्ति करके आरोप को घर लाने के लिए संभावित साक्ष्य/अतिरिक्त साक्ष्य का नेतृत्व करके ट्रायल कोर्ट की सहायता कर सकता था, लेकिन वे ऐसा करने में बुरी तरह विफल रहे। यदि कानूनी स्थिति यह है कि 1972 के अधिनियम की धारा 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार आवंटन की तारीख के पांच साल तक अधिशेष भूमि नहीं बेची जा सकती है और नायब तहसीलदार के रूप में याचिकाकर्ता ने 15 जनवरी, 1996 को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नंबर 137, 139 से 147 पंजीकृत किया था, तो राज्य को पहले आवंटन प्राधिकरण यानी सब डिवीजनल ऑफिसर (सिविल) पर सवाल उठाना चाहिए था, गुहला ने कहा कि उन्होंने बिक्री विलेखों के पंजीकरण और भूमि आवंटन के मामले में क्या किया जो याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र में नहीं था।

12. यदि नियमों का कोई उल्लंघन हुआ है, तो कोई प्रत्यक्ष सबूत मौजूद नहीं है या आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया इसके विपरीत साबित करने के लिए ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। मेन्स रिया आपराधिक और घरेलू कार्यवाही दोनों के लिए प्रासंगिक है। आक्षेपित आरोप-पत्र में आरोपों के आरोप लगाने का बयान स्पष्ट रूप से है कि याचिकाकर्ता ने राम चरण, पटवारी और पुरुषोत्तम दास, गांव कवर्टन के नंबरदार के साथ मिलकर 28 व्यक्तियों को गलत तरीके से जमीन आवंटित की। बाद में उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर इस जमीन को आगे बेच दिया गया जबकि अतिरिक्त जमीन आवंटन के पांच साल बाद तक नहीं बेची जा सकती। आरोप पत्र में जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे कोई और नहीं बल्कि राज्य सतर्कता ब्यूरो, अंबाला डिवीजन की 1999 की जांच रिपोर्ट संख्या 5 और गांव रसूलपुर की 430 के-16 एम अधिशेष भूमि के आवंटन से संबंधित फाइल है, जैसा कि आरोप डॉकेट से पैदा हुआ है। यह पुष्टि करता है कि घरेलू जांच और आपराधिक मामले में आरोप चरित्र में समान हैं। याचिकाकर्ता को एक ही आरोप पर दो बार परेशान होने का अधिकार है, जिसके कारण आपराधिक मामले में बरी हो गया था।

13. इसके अलावा, आरोप पत्र घटना के 14 साल बाद और आपराधिक मामले में बरी होने के तीन साल बाद जारी किया गया है जो एक असाधारण लंबा समय है। करीब डेढ़ दशक बीत जाने के बाद सबूत पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपराधिक अदालत का यह अवलोकन सही है। न तो शिकायतकर्ता और न ही राज्य ने याचिकाकर्ता के आरोप मुक्त करने के आदेश को चुनौती दी। याचिकाकर्ता आवंटन प्राधिकारी नहीं था। यदि आवंटियों द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी पर याचिकाकर्ता का हाथ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने आवंटी द्वारा तीसरे पक्ष को अधिशेष भूमि की बिक्री की साजिश रची। यदि सिस्टम की विफलता थी, तो उच्च-अप से पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने आवंटन प्राधिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप स्पष्ट है कि उसने तत्कालीन आवंटन प्राधिकरण, श्री बीबी कौशिक, एचसीएस, एसडीएम, गुहला से 28 व्यक्तियों को गलत आवंटन किया। इस आरोप को तब तक बरकरार नहीं रखा जा सकता जब तक आवंटन प्राधिकरण की भूमिका की जांच नहीं की जाती है और सच्चाई का पता नहीं लगाया जाता है। बाद में भी, जमीन को पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बेच दिया गया था जब याचिकाकर्ता पंजीकरण प्राधिकरण नहीं था। उन्होंने न तो आवंटन किया और न ही भूमि अधिशेष संपत्ति का पंजीकरण प्राधिकारी था। न ही यह न्यायालय 1995-1996 के वर्षों में हुई घटनाओं की जांच कर सकता है। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र किए गए सबूतों पर आपराधिक मुकदमे में आरोपों को साबित नहीं कर सका, तो क्या विभाग विभागीय कार्यवाही में आरोपों को आरोपों और सामग्री के एक ही सेट पर साबित कर पाएगा और वह भी लंबे समय के बाद। मुझे याचिकाकर्ता पर बहुत गंभीर संदेह है कि प्रतिवादी विभाग द्वारा रिकॉर्ड पर समान सामग्रियों पर आरोप पत्र दायर करने में याचिकाकर्ता के साथ निष्पक्ष रूप से निपटा गया है, केवल याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति से कम करने और उसे बलि का बकरा बनाने और उसे उसके अवैतनिक सेवानिवृत्ति बकाया से वंचित करने के लिए। असहाय याचिकाकर्ता के साथ उसके रैंक में जो किया गया उसमें कार्रवाई में कोई निष्पक्षता दिखाई नहीं देती है।

14. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, इस याचिका को अनुमति दी जाती है और दिनांक 27 नवंबर, 2011 के आक्षेपित आरोप पत्र (अनुलग्नक) को अनुमति दी जाती है। पी-1) के साथ-साथ उन कार्यवाहियों को भी रद्द किया जाता है जो इसके

परिणामस्वरूप होती हैं और अवैध, मनमानी और अनुचित के रूप में रद्द कर दी जाती हैं। ग्रेच्युटी आदि सहित सभी पेंशन लाभ याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर जारी किए जाएंगे, जिसमें विफल होने पर चूक की मूल राशि पर 8% ब्याज प्रति वर्ष तब तक देय होगा जब तक कि गलती करने वाले अधिकारी द्वारा अपनी जेब से देय वसूली नहीं हो जाती। यदि किसी उच्च पद पर पदोन्नति केवल आपराधिक मामले या विभागीय कार्यवाही के लंबित होने के कारण रुकी हुई है, तो सक्षम प्राधिकारी इस पहलू को देखेगा और याचिकाकर्ता के मामले पर तदनुसार विचार किया जाएगा और यदि वह नियमों के अनुसार अन्यथा योग्य पाया जाता है तो एक मौखिक आदेश पारित करके याचिकाकर्ता को फरवरी 2019 के मध्य तक इस न्यायालय की रजिस्ट्री की प्रति के साथ अवगत कराया जाएगा इसे अवलोकन के लिए फाइल पर रखने के अनुरोध के साथ।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी